भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *25

05 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

इस्पात संयंत्रों के विनिवेश और उनकी युक्तिपूर्ण बिक्री को रद्द किया जाना

***25. # श्री वि. विजयसाई रेड्डी :**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सेलम स्थित सेलम इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर स्थित मिश्र इस्पात कारखाना और कर्नाटक के भद्रावती स्थित विश्वेशरैया आयरन एंड स्टील कारखाना (वी.आई.एस.पी.) के विनिवेश और उनकी युक्तिपूर्ण बिक्री संबंधी प्रस्तावों को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो युक्तिपूर्ण बिक्री अथवा विनिवेश के प्रस्तावों को रद्द किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र (आरआईएनएल) की युक्तिपूर्ण बिक्री के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित नहीं की है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

(इस्पात मंत्री) **(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)**

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

"सेलम में, सेलम इस्पात संयंत्र के विनिवेश एवं युक्तिपूर्ण बिक्री को रद्द किए जाने" के संबंध में श्री वी. विजयसाई रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 05 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले राज्यसभा तारांकित (*) प्रश्न संख्या *25 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की तीन इकाइयों यथा सेलम में सेलम इस्पात संयंत्र (एसएसपी), दुर्गापुर में मिश्रधातु इस्पात संयंत्र (एएसपी) तथा भद्रावती, कर्नाटक में विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र (वीआईएसपी) के युक्तिपूर्ण विनिवेश के लिए अक्टूबर, 2016 में 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान कर दिया था। तदनुसार, विनिवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। विनिवेश के अधीन सेल की सभी इकाइयों की स्थिति निम्नानुसार है:

i. दिनांक 04.07.2019 को सेलम इस्पात संयंत्र (एसएसपी) के युक्तिपूर्ण विनिवेश के लिए जारी की गई मौजूदा रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) को चयनित बोलीकर्ताओं की रूचि के अभाव के कारण निरस्त कर दिया गया था।
ii. मिश्रधातु इस्पात संयंत्र के विनिवेश का प्रयास दो बार विफल रहा क्योंकि कोई रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्राप्त नहीं हुई थी।
iii. विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र (वीआईएसपी) के लिए दिनांक 04.04.2019 को जारी की गई रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) को चयनित बोलीकर्ताओं की रूचि के अभाव के कारण निरस्त कर दिया गया था।

(ग) और (घ): राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) की युक्तिपूर्ण बिक्री के लिए रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) को जारी नहीं किया गया है। सरकार ने अधिदेश दिया है कि आरआईएनएल के युक्तिपूर्ण विनिवेश के लेनेदेन में विनिवेश के समय, मूल्य, बिक्री के नियम एवं शर्तों, गैर-मुख्य परिसंपत्तियों, खदानों, सहायक कंपनियों, इकाइयों, संयुक्त उद्यमों में हिस्सेदारियों जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाएगा।

******